बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____ पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 222119 दिनांक 25.02.15, पत्रांक 229003 दिनांक 20.04.15, पत्रांक 236474 दिनांक 02.07.15, पत्रांक 239166 दिनांक 22.07.15, पत्रांक 240622 दिनांक 03.08.15.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं । विदित हो कि विभागीय पत्रांक 222119 दिनांक 25.02.2015 द्वारा सभी जिलों के लिए फैसिलिटेटर (facilitator) नियुक्त किया गया है । सामाजिक वानिकी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया में फैसिलिटेटर (facilitator) के कार्यों तथा दयित्वों को विस्तारपूर्वक उल्लेखित किया गया है । फैसिलिटेटर (facilitator) द्वारा सामाजिक वानिकी की योजनाओं से संबंधित सामग्रियाँ यथा पौधा, गैवियन, खाद एवं कीटनाशक, घड़ा तथा ट्रॉली को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाना है जिसका भुगतान उनके बैंक खाता को freeze कर eFMS के माध्यम से करने का निदेश दिया जा चुका है ।

सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन से संबंधित सभी प्रावधानों के विषय में स्पष्ट दिशा-निदेश दिये जाने के बावजूद कई जिलों एवं facilitators से प्राप्त पृच्छाओं यथा पौधों का क्रय, गैबियन की सुरक्षा, घडा/ ट्रॉली के स्थान पर अन्य सामग्री के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की जा रही है । इस क्रम में निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

1. सभी facilitators/ कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक योजना का फोटोग्राफी कर फोटो को अनिवार्य रुप से nregasoft पर अपलोड किया जाय तथा फोटो की एक प्रति प्रिंटआउट करा कर योजना से संबंधित अभिलेखों के साथ संधारित किया जाय । प्रत्येक फोटो

में सूचना-पट्ट/ वनपोषक/ स्थानीय जनप्रतिनिधि/ फैसिलिटेटर/ मनरेगा कर्मी इत्यादि की छवि आनी चाहिये जिसके आधार पर योजना एवं इसके अंतर्गत किये कार्यों की पहचान की जा सके ।

2. योजना अंतर्गत पौधों के क्रय से संबंधित दिशा-निदेश विभागीय पत्रांक 236474 दिनांक 02.07.15 के माध्यम से दिया जा चुका है । कतिपय जिलों से सूचनायें प्राप्त हो रहीं हैं कि सरकारी पौधशालाओं में पौधें उपलब्ध नहीं हैं अथवा उपलब्ध पौधें सामाजिक वानिकी हेतु निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं हैं । इस क्रम में स्पष्ट करना है कि पर्यावरण एवं वन विभाग के पौधशालाओं में पौधे उपलब्ध नहीं होने अथवा उच्च गुणवत्ता के नहीं होने पर उपरोक्त पत्रांक 236474 दिनांक 02.07.15 के आलोक में उचित कार्रवाई की जाय ।
3. पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु गैवियन का प्रावधान किया गया है जिसे सभी योजनाओं में सुनिश्चित किया जाय । गैवियन की गुणवत्ता विभागीय निदेश के आलोक में सुनिश्चित की जाय एवं इसका फोटो संधारित किया जाय ।
4. इससे पूर्व विभागीय पत्रांक 248174 दिनांक 22.9.15 द्वारा मानव दिवस सृजन से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया था किन्तु अपेक्षित प्रगति MIS पर परिलक्षित नहीं हो रही है । इस संबंध में पुन: निदेशित किया जाता है कि श्रम बजट (2015-16) में वर्णित मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामाजिक वानिकी की योजनाओ को भी अपेक्षित संख्या में ली जाय एवं विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

<u>अनुलग्नक :- यथोक्त ।</u>

विश्वासभाजन

29.9.15

(प्रदीप कुमार)

सचिव

ज्ञापांक 248950

पटना, दिनांक 30/09/2015

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रतिलिपि:- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी फैसिलिटेटर (facilitator) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 29.9.15

29/9/15

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 248174 पटना, दिनांक:- 22/09/2015

ग्रा0वि0-8(थ)-133/2011

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा अन्तर्गत मानव दिवस सृजन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-18.09.2015 को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में राज्य में मनरेगा की प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गयी । वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में पिछले वित्तीय वर्ष (2014-15) के माह अगस्त में सृजित मानव दिवस के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष (2015-16) के अगस्त माह में सृजित मानव दिवस की समीक्षा की गयी । जहाँ पिछले वित्तीय वर्ष (2014-15) के माह अगस्त में 27138698 मानव दिवस सृजित किए गए वहीं इस वित्तीय वर्ष के माह अगस्त में मात्र 14236553 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 47.5% कम (प्रतिवेदन संलग्न) है ।

केवल आठ जिले यथा, अररिया, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, पूर्णियाँ एवं सहरसा ऐसे हैं जिनके द्वारा पिछले पिछले वित्तीय वर्ष (2014-15) के माह अगस्त में सृजित मानव दिवस के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष (2015-16) के अगस्त माह में अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है ।

आठ जिले यथा गया, पश्चिम चम्पारण, खगड़िया, कैमूर(भभूआ), रोहतास, औरंगाबाद, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर ऐसे हैं जिनके द्वारा पिछले पिछले वित्तीय वर्ष (2014-15) के माह अगस्त में सृजित मानव दिवस के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष (2015-16) के अगस्त माह में 80% से कम मानव दिवस का सृजन किया गया है ।

तेरह जिले यथा बेगुसराय, अरवल, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, किशनगंज, नालन्दा, शेखपुरा, शिवहर, सीवान, सुपौल एवं वैशाली ऐसे हैं जिनके द्वारा पिछले पिछले वित्तीय वर्ष (2014-15) के माह अगस्त में सृजित मानव दिवस के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष (2015-16) के अगस्त माह में 50% से कम मानव दिवस का सृजन किया गया है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल 937 लाख मानव दिवस के श्रम बजट का अनुमोदन दिया गया है । समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा यह स्पष्ट

निर्देश दिया गया है कि अगर 20 दिसम्बर, 2015 तक मानव दिवस सृजन में अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो बिहार राज्य के अनुमोदित श्रम बजट को कम करते हुए अन्य राज्यों को दे दिया जाएगा । ऐसी परिस्थिति में राज्य को मनरेगा योजना की अगली किस्त प्राप्त नहीं हो पाएगी जिससे राज्य को क्षति होगी ।

ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि वैसे कार्य लिए जाएं जिसमें अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन हो । वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण तथा मिट्टी से जुड़े कार्य ऐसे हैं जिनसे अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन होगा । आदर्श चुनाव आचार संहिता की स्थिति में मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कराये जाने से संबंधित निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश पूर्व में आपको प्रेषित है । सुलभ संकेत हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता में मनरेगा अंतर्गत कार्य कराये जाने के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

अनुरोध है कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए अपने जिलों की प्रखण्डवार एंव पंचायतवार समीक्षा की जाय ताकि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन हो सके । इस कार्य में अभिरूचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों / कर्मियों को चिन्हित करते किया जाय तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्ति पर उनके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाए ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 22/9/15

(प्रदीप कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:- 248174 /पटना, दिनांक:- 22/09/2015

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यक्रम पदाधिकारी का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय तथा इसकी समीक्षा जिले के एम.आई.एस. पदाधिकारी के साथ की जाए । लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं करने वाले कार्यक्रम पदाधिकारियों / कर्मियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

प्रदीप कुमार

सचिव 22/9/15

पत्रांक–ग्रा0वि0–7(सा0वा0)–08/2014–122119

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2015

विषयः– बिहार में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के समयबद्ध कियान्वयन के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मनरेगा केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सभी इच्छुक वयस्क को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्यांकि बिहार में Working Season मात्र 4 से 5 महीना है, क्योंकि 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ग्रस्त है। जून, 2015 से जनवरी एवं फरवरी तक मिट्टी का कार्य इन बाढ़ग्रस्त जिलों में नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से 100 दिन का रोजगार मिट्टी के कार्य में मिलना संभव नहीं है। इसलिए वृक्षारोपण ही एक ऐसी योजना है, जिसमें सालोभर बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। इसके कारण बिहार में 34.06 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार रहने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय 2462.02 करोड़ रूपये मात्र है, जबकि आंध्र प्रदेश में मात्र 10.96 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार है परन्तु वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय 5347.91 करोड़ रूपये है। अतः स्पष्ट है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा के अंतर्गत व्यय अधिक नहीं हुआ। राज्य सरकार वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है एवं वर्ष 2017 तक इसे 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। यह राज्य सरकार के प्रयासों का ही फलाफल है कि वर्ष 2011 में लगभग 9.00 प्रतिशत से बढ़कर यह वर्तमान में 10.3 प्रतिशत हुआ है। मनरेगा अंतर्गत सूखारोधी एवं वृक्षारोपन कार्य का प्रावधान होने के कारण पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रयासों के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत भी विगत 5–6 वर्षों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य हुआ है।

2. भारत सरकार द्वारा निर्गत नयी मार्गदर्शिका के अनुसार बिहार के जनसांख्किीय (demographic) एवं भूमि (land) की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक 200 फलदार एवं लकड़ी पौधों अथवा एक हजार बॉस पौधों पर दो वन पोषकों को संबंद्ध किया जायेगा। प्रत्येक वन पोषकों को प्रत्येक माह में 90 प्रतिशत से ज्ज्यादा पौधों के जीवित रहने पर प्रत्येक जीवित पौधें के आलोक में 7 रूपये की राशि लगातार पॉच साल तक दी जायेगी। पॉच साल के बाद उन्हीं परिवार को 50–50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत् वृक्ष पट्टा के रूप में दिया जायेगा जिसका लाभ (usufruct right) उन्हें मिलेगा।

3. वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की गयी वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बंद कराकर वृक्ष संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ संलग्न कर वनपोषकों को दिया जायेगा।वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–2015 में वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बंद कराकर उन सभी योजनाओं को पुनः नये दिशा–निदेश के अनुसार नये रेकर्डस खोलते हुए चार वनपोषक के स्थान पर दो वनपोषक को सम्बद्ध किया जायेगा।

4. सामाजिक वानिकी के सफल कियान्वयन हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं–

(i) सभी पंचायत में 20 हजार वृक्ष लगाने पर 200 अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के महिलाओं को 1400/–रू0 (200x7) प्रतिमाह पॉच वर्षो तक दिया जायेगा अर्थात् 18983.05 मानव दिवस (200x 200X 7 X 12) /177 सृजित किया जायेगा। सभी 8406 पंचायतों में इसी प्रकार 2824.42 करोड़ रू0 का मजदूरी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके उपरान्त 1882.94 का सामग्री मद में व्यय किया जा सकेगा। कुल बिहार में मनरेगा योजना का व्यय 4707.36 करोड़ रू0 हो सकेगा।

(ii) सभी पंचायतों में आई0पी0पी0ई0 कार्य योजना के अन्तर्गत योजनाओं का ग्राम सभा के माध्यम से चुनाव किया गया है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी पंचायतों में न्यूनतम 20 हजार वृक्षारोपण करने हेतु योजनाएँ वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित हो। अगर किन्हीं पंचायत में 20 हजार पौधों से कम की वृक्षारोपण योजना ली गयीं हो तो पुनः ग्राम सभा कराकर पूरक कार्य योजना में शामिल करते हुए shelf of project तैयार किया जाए। यह कार्य 15 मार्च, 2015 तक पूर्ण कराया जाए एवं विभाग को ससमय सूचित किया जाए।

(iii) सभी पंचायत रोजगार सेवकों की ये जिम्मेवारी होगी कि प्रत्येक योजना का स्थल का चयन करते हुए, स्थान के चौहद्दी का जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट लिया जायेगा। विभाग द्वारा सभी मनरेगा कर्मियों को Android Mobile दिया जा रहा है एवं एक SAAS based Application Software तैयार किया जा रहा है। इस Application Software के माध्यम से प्रत्येक योजना का प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। सभी पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता की जिम्मेवारी होगी कि सभी योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सभी कार्यकम पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि योजना के प्राक्कलन तैयार होने के बाद MIS update करते हुए नरेगा सॉफ्ट (nrega.nic.in) में अपलोड किया जायेगा। सभी योजनाओं में प्रत्येक 200 पौधे पर 2 वनपोषकों को सम्बद्ध किया जाना है। यह कार्य 30 मार्च, 2015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) विभाग के द्वारा प्रत्येक वृक्षारोपण योजना के लिए एक Database तैयार किया जा रहा है जिसमें सम्पूर्ण योजना की विवरणी ऑनलाईन देखा जा सकता है यथा– योजना का नाम, कुल पौधों की संख्या, प्रजातिवार पौधों की संख्या, वनपोषकों का नाम एवं पता, जॉब कार्ड नम्बर, आधार कार्ड/खाता संख्या/नम्बर, फोटो इत्यादि।

(v) प्रत्येक योजना का प्रत्येक 15 दिन पर फोटोग्राफ लेते हुए Database एवं नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड किया जायेगा। इससे Plant Health Monitoring Report देखा जा सकेगा।

(vi) सभी कार्यकम पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि ई–मस्टर रौल में प्रत्येक 15 दिन पर प्रत्येक वनपोषक को 700/–रू0 का मजदूरी भुगतान किया जायेगा एवं डेटा इंट्री एवं मस्टर रौल पर 3.95 मानव दिवस (700/177) अंकित किया जायेगा।

(vii) बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बॉस पौधारोपण को प्राथमिकता देते हुए सभी योजनाओं को 30 जून, 2015 तक पूर्ण किया जायेगा।

(viii) बॉस पौधारोपण के अतिरिक्त सभी पौधारोपण की योजनाओं का 1 अप्रील, 2015 से site preparation, pit digging, manure mixing का कार्य 15 जून, 2015 तक पूर्ण किया जायेगा। इन सभी योजनाओं में पौधारोपण वर्षाऋतु में 15 जून से 30 सितम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जायेगा।

(ix) विभाग के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार इन उपर्युक्त सभी कार्यों में सहयोग करने एवं सामाजिक वानिकी योजनाओं का सफल कियान्वयन, मूल्यांकण, पर्यवेक्षण करने हेतु फैसिलीटेटर का चुनाव ई0ओ0आई0 एवं आर0एफ0पी0 के प्रकिया के उपरान्त जिलावार किया गया है। विभाग के द्वारा सभी फैसिलीटेटर से एक अनुबंध एकरारनामा किया गया है। फैसिलीटेटर की सूची एवं जिलावार आवंटन, फैसिलीटेटर का कार्य एवं दायित्व तथा एक उदाहरणस्वरूप एकरारनामा को परिशिष्ट–1, 2, एवं 3 के रूप में संलग्न किया गया है।

(x) प्रत्येक सामाजिक वानिकी योजना जो सार्वजनिक या निजी भूमि पर कियान्वित होगी, उसके आकस्मिकता मद में जो राशि निर्धारित होगी उस राशि को 5X12=60 किश्तों में बांटकर हर माह 10 तारीख के पहले फैसिलीटेटर के बैंक खाते में उनके द्वारा सम्पादित कार्य के सत्यापन के पश्चात स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

मानदेय का उदाहरण – सामाजिक वानिकी के तहत सरकारी जमीन पर फलदार पौधे की खेती के लिए मानक प्राक्कलन (1 यूनिट =200 पौधे) यदि 2,31,22 है तो उसमें योजना का 2 प्रतिशत अर्थात् 4534 राशि आकस्मिकता मद की भी सन्निहित है। अतः फैसिलीटेटर को उनके खाते में प्रत्येक माह के 10 तारीख के पहले कुल 4534/60=75.57 राशि जमा कर दी जायेगी।

प्रत्येक फैसिलीटेटर का बैंक खाता वेंडर रजिस्ट्रेशन में फीज करते हुए ई0एफ0एम0एस0 के माध्यम से डी0आर0डी0ए0 के द्वारा भुगतान किया जायेगा एवं भुगतान के अनुरूप प्रत्येक योजना में एम0आई0एस0 डेटा इंट्री करायी जाएगी।

(xi) इस परियोजना के लिए एक प्रोजेक्ट मेनेजमैंट यूनिट का सृजन किया गया है जिसके नोडल पदाधिकारी श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को बनाया गया है जिनका मोबाईल नं0–9431818387 है। यह दिशा–निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक जिला में एक प्रोजेक्ट मेनेजमैंट यूनिट का सृजन करते हुए नोडल पदाधिकारी का चयन करते हुए विभाग को सूचित किया जाए। यह कार्य 1 मार्च, 2015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विभाग को यह सूचित किया गया है कि लगभग 80 लाख पौधे वन विभाग के द्वारा नर्सरी में तैयार किये गये हैं। सामाजिक वानिकी में प्रथम प्राथमिकता में इन पौधों का वन विभाग से उठाव करते हुए वृक्षारोपण कराया जाएगा एवं पौधों की अनुपलब्धता की स्थिति (प्रजाति या संख्या) में ही फैसिलीटेटर के माध्यम से पौधों का उठाव किया जाएगा। प्रति पंचायत 20 हजार पौधों का लक्ष्य के अनुसार यह निदेश दिया जाता है कि जिलावार मिट्टी एवं जलवायु के परिप्रेक्ष्य के अनुसार पौधों की आवश्यकता की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए ताकि वन विभाग को नर्सरी तैयार करने में सहूलियत हो। यह कार्य 15 मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
24/2/15

ज्ञापांक–222119/पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

24/2/15

Annexure-I

Facilitator & Their Allotted Districts

Sl. No.	District	Agency
1.	Araria	TRY
2.	Arwal	Sanmat
3.	Aurangabad	CMX
4.	Banka	Green Leaf
5.	Begusarai	Bhavishya
6.	Bhagalpur	Bhavishya
7.	Bhojpur	Prakriti
8.	Buxar	Prakriti
9.	Darbhanga	Sanmat
10.	East Champaran	TRY
11.	Gaya	Green Leaf
12.	Gopalganj	CMX
13.	Jamui	Green Leaf
14.	Jehanabad	Sanmat
15.	Kaimur	Prakriti
16.	Katihar	CMX
17.	Khagaria	CMX
18.	Kishanganj	Jahanvi
19.	Lakhisarai	Green Leaf
20.	Madhepura	Bhavishya
21.	Madhubani	Sanmat
22.	Munger	Green Leaf
23.	Muzaffarpur	TRY
24.	Nalanda	Bhavishya
25.	Nawada	Green Leaf
26.	Patna	CMX
27.	Purnea	Jahanvi
28.	Rohtas	Prakriti
29.	Saharsa	Green Leaf
30.	Samastipur	Jahanvi
31.	Saran	Prakriti
32.	Shiekhpura	Green Leaf
33.	Sheohar	Sanmat
34.	Sitamarhi	Sanmat
35.	Siwan	CMX
36.	Supaul	Green Leaf
37.	Vaishali	CMX
38.	West Champaran	Sanmat

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि.-7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषयः- **मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

प्रसंगः- **विभागीय पत्रांक- 215360 दिनांक 07.01.2015, पत्रांक- 216963 दिनांक 19.01.2015, पत्रांक- 220017 दिनांक 10.02.2015, पत्रांक- 222119 दिनांक 25.02.2015, पत्रांक- 226744 दिनांक 07.04.2015 ।**

महाशय,

मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों का कृप्या स्मरण किया जाए । उक्त पत्रों द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए जा चुके है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा भी की जा रही है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी पर SOP बनाई गई है । सामाजिक वानिकी के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा सभी जिलों के लिए Facilitator का चयन किया गया है एवं उसकी सूची पत्रांक 222119 दिनांक 25.02.2015 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है । Facilitator द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य एवं उनके दायित्वों का उल्लेख भी उक्त पत्र के साथ अनुलग्न किया गया है ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य की जनसंख्यिकीय एवं भूमि की स्थिति के आलोक में विभाग द्वारा उक्त मार्गदर्शिका में संशोधन कर राज्य के परिपेक्ष्य में सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाया गया है । दिनांक 28.01.2015 को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । उक्त कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को सामाजिक वानिकी से संबंधित Standard Operating Procedure की कुल 25000 प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई थी एवं उक्त प्रतियों को जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सभी मनरेगा कर्मियों यथा PRS, PTA, JE, AE एवं सभी मुखियागण को (जिलावार/प्रखंण्डवार संख्या अनुलग्नक एक पर संलग्न) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । विभाग को कतिपय स्त्रोतो से जानकारी मिल रही है कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा संबंधित कर्मियों तथा पदाधिकारियों को प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गई है ।

24/4/15

अतः सभी उप विकास आयुक्त, यह सुनिश्चित करेगे कि सामाजिक वानिकी के SOP का वितरण सभी संबंधितों को हो गया है एवं इससे संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराएंगे ।

3. सामाजिक वानिकी के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश एवं विभिन्न कार्यो हेतु निर्धारित की हुई समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए-

(i) उप विकास आयुक्त सभी Facilitator के साथ अविलंब बैठक कर सामाजिक वानिकी के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाएँगे एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ बैठक कर विभाग को प्रगति प्रतिवेदित करेंगे एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो अविलंब उसका समाधान करेंगे ।

(ii) विभाग के द्वारा प्रति पंचायत 20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतो में 1 मई 2015 को विशेष ग्राम सभा करा कर पौधारोपण के लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का चयन सुनिश्चित किया जाए । जिन पंचायतों में IPPE के अंर्तगत पौधारोपण की योजनाये कम मात्रा में ली गयी है वहाँ कार्यक्रम पदाधिकारी विशेष रूप से ग्राम सभा में योजनाओं के चयन हेतु निगरानी करेगें । यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योकि पूर्व में ऐसा पाया गया है कि वृक्षारोपण की कम योजनाओं के चयन के कारण मजदूरी सामग्री व्यय का अनुपात 60:40 का अनुपालन नही हो पा रहा है । इस वजह से वर्ष 2014-15 में अतिरिक्त सामग्री मद में वर्तमान में 191.52 करोड़ रूपये का व्यय बिहार सरकार को राज्य निधि से वहन करना पड़ा है । अतः वर्ष 2015-16 में मजदूरी सामग्री व्यय के 60:40 अनुपात बनाए रखने के लिए सभी उप विकास आयुक्त सामाजिक वानिकी की योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देंगे ।

(iii) विभागीय निदेश के अनुसार प्रति पंचायत 20000 पौधे लगाए जाने हैं एवं प्रति 200 पौधो (1यूनिट) पर दो वन पोषको को संलग्न किया जाना है। पंचायत में लक्ष्य के अनुरूप 200 वन पोषको का चयन सुनिश्चित करते हुए चयनित वनपोषको का नाम, योजना का नाम NregaSoft पर दिनांक 15.05.15 तक entry सुनिश्चित किया जाए।

(iv) सामाजिक वानिकी की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक जिलें के लिए Facilitator का चयनकिया गया है । संबंधित जिले के Facilitator का NregaSoft पर Vendor Registration करते हुए उनके बैंक खाता को Freeze किया जाए । यह कार्य 01 मई 2015 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए ।

24/4/15

(v) विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त द्वारा एक PMU की स्थापना सामाजिक वानिकी के लिए की जायेगी । जिलों में मनरेगा के कार्यपालक अभियन्ताइसके प्रभार में रहेंगे एवं एक PO एवं APO इस PMU के सदस्य होंगे । इस संबंध में उप विकास आयुक्त एक सप्ताह में PMU का गठन करते हुए, PMU के सभी सदस्यो का नाम एवं मोबाईल न0 विभाग को सूचित करेगे ।

(vi) विभाग द्वारा दिनांक 16.04.2015 को सभी Facilitator एवं जीविका के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई थी । जीविका के द्वारा बिहार में व्यापक पैमाने पर स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है । सामाजिक वानिकी की योजनाओं में स्वयं सहायता समूह का गठन करते हुए महिलाओं को वनपोषक के रूप में मजदूरी भुगतान करने एवं स्वयं सहायता समूह कोप्रशिक्षण देते हुए नर्सरी में पौधों का उत्पादन किया जाना है । इस संबंध में उप विकास आयुक्त Facilitator की बैठक में संबंधित जीविका कर्मी को बुलाऐंगे एवं समन्वय करेगें । जीविका के पदाधिकारी द्वारा Facilitator को जिलावार स्वयं सहायता समूह की सूची प्रदान की जाएगी ।

(vii) दिनांक 13.04.2015 के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विकास मित्रों की कार्यशाला मे धोषणा की गई है कि महादलित महिलाओं एवं SC/ST परिवार को वनपोषक हेतु प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए । इस संबंध में सभी विकास मित्र प्रत्येक माह महादलित टोले में स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु आवश्यक सहयोग करेगें । सचिव, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से विकास मित्रों के दायित्वों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है ।

उरोक्त के आलोक में सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक यथोक्त

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 20.4.15

सचिव

ज्ञापांक:- 229003 पटना, दिनांक 20/4/15

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी Facilitators को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित ।

(प्रदीप कुमार) 20.4.15

सचिव

20/4/15

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 236474 पटना, दिनांक 2-07-2015

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

विषय:- मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी हेतु पौधों को क्रय करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी हेतु दिनांक 26.05.2015 को मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारियों के साथ की गयी Video Conferencing में दिये गये निदेश एवं दिनांक 23.06.15 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ हुई बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पौधों के क्रय के संबंध में निम्न दिशा निर्देश दिये जाते है:-

1. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न पौधशालाओं में जिलावार उपलब्ध कुल 5109165 पौधो एवं उनके दर की सूची प्रदान की गयी है जिसे पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है । सभी उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेगें कि Facilitator सर्वप्रथम इन सरकारी नर्सरी से ही पौधो का उठाव पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में करेगे । पौधों की न्यूनतम उँचाई 3 फीट होगी ।
2. सरकारी नर्सरी में पौधे उपलब्ध नहीं होने अथवा उच्च गुणवता के नहीं होने पर स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित नर्सरी से पौधों का उठाव Facilitator द्वारा किया जाएगा ।
3. उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 में पौधे अनुपलब्ध होने की स्थिति में स्थानीय / राज्य में स्थापित नर्सरी से पौधो का उठाव Facilitator के माध्यम से किया जायेगा ।
4. किसी भी परिस्थिति में राज्य के बाहर से पौधो का क्रय नहीं किया जाये ।

(अनुलग्नक: यथोक्त)

विश्वासभाजन

2.7.15

(प्रदीप कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
पटना, दिनांक 22/7/15

पत्रांक 239166
ग्रा.वि.-7(सा0आ0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग:- 1. सामाजिक वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP),
2. पर्यावरण एवं वन विभाग का ज्ञापांक 189 दिनांक 26.06.2015,
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 11017/17/2008-NREGA (UN) (Part - II) दिनांक 31.07.2014 का Annexure- 4.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा Standard Operating Procedure (SOP) का निर्माण किया गया था जिसमें सामाजिक वानिकी से संबंधित प्राक्कलन संलग्न था । दिनांक 23.06.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11011/01/2014-RE1 दिनांक 03.07.2015 के आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत मानक प्राक्कलन में निम्न संशोधन किया जाता है:-

1. <u>ट्रॉली एवं घड़े का प्रावधान</u> - मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के प्राक्कलन में पटवन हेतु ट्रॉली एवं ढक्कन सहित घड़े का प्रावधान मात्र दक्षिण बिहार के जिलों हेतु किया गया था । ट्रॉली हेतु 5000/- तथा 50/- रूपये प्रति घड़े की दर से कुल 200 घड़े हेतु 10,000/- रूपये का प्रावधान किया गया है । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में ट्रॉली एवं घड़े का प्रावधान पूरे बिहार में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है ।

2. <u>गैबियन का प्रावधान</u> - विभाग द्वारा पूर्व निर्गत प्राक्कलन में गैबियन का प्रावधान नहीं किया गया है । भारत सरकार के उपर्युक्त प्रांसगिक पत्र के Annexure- 4 के मानक प्राक्कलन के

क्रम 11 के माध्यम से पौधों की उत्तर जीविता सुनिश्चित करने हेतु गैवियन के प्रयोग का निदेश दिया गया है ।

इसके लिये स्थानीय सामाग्री/बाँस से निर्मित प्रति गैवियन हेतु अधिकतम 350/- रूपये की राशि का निर्धारण किया गया है । इस राशि अंतर्गत न्यूनतम 2.0 फीट x 2.0 फीट x 4 फीट (above ground) के आयतन का गैवियन निर्माण किया जाना सुनिश्चित कर इस हेतु प्राक्कलन में 200 x 350 = 70000/- रुपये का प्रावधान किया जाता है ।

3. <u>खाद की आवश्यकता</u> - पूर्व में निर्गत मानक प्राक्कलन में लगातार 5 वर्षों तक पूरे वर्ष (12 माह) खाद का प्रावधान किया गया है । इसमें प्रथम वर्ष में 4320/- रूपये तथा शेष चार वर्षों के लिए 2160/- रूपये का प्रावधान किया गया था । अर्थात पाँच वर्षों में कुल 12960/- रूपये का प्रावधान था ।

बिहार की वर्तमान जलवायु के अनुसार दिसम्बर और जनवरी माह पौधों के लिए dormant अवधि होती है । इस अवधि में खाद की आवश्यकता नहीं होती है । इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 माह के स्थान पर 10 माह (दिसम्बर और जनवरी छोड़ कर) के लिए ही खाद का प्रावधान अनुमान्य किया जाता है । इस प्रकार प्रथम वर्ष में खाद पर होने वाला कुल व्यय 3600/- रूपये एवं शेष चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1800/- रूपये होगा । कुल पाँच वर्षों में 10800/- रूपये खर्च होगा । तदनुसार प्राक्कलन में राशि प्रावधानित की जाती है ।

4. <u>पौधों के क्रय के संबंध में</u> - इस संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक 236474 दिनांक 02.07.2015 के माध्यम से निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

I. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न पौधशालाओं में जिलावार उपलब्ध कुल 5109165 पौधों एवं उनके दर की सूची प्रदान की गयी है जिसे उक्त पत्र के साथ संलग्न किया गया है । सभी उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगें कि Facilitator सर्वप्रथम इन सरकारी नर्सरी से हीं पौधों का उठाव पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में करेंगे । पौधों की न्यूनतम उँचाई 3 फीट होगी ।

II. सरकारी नर्सरी में पौधे उपलब्ध नहीं होने अथवा उच्च गुणवता के नहीं होने पर स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित नर्सरी से पौधों का उठाव Facilitator द्वारा किया जाएगा ।

III. उपरोक्त क्रमांक I एवं II में पौधे अनुपलब्ध होने की स्थिति में राज्य में स्थापित नर्सरी से पौधों का उठाव Facilitator के माध्यम से किया जायेगा ।

IV. किसी भी परिस्थिति में राज्य के बाहर से पौधों का क्रय नहीं किया जायेगा ।

5. <u>Facilitator के संबंध में</u> - जिन जिलों में Facilitator द्वारा सामाजिक वानिकी का कार्य संपादन नहीं किया जा रहा है, उन जिलों के उप विकास आयुक्त पूर्व की भाँति/ पर्यावरण एवं वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य संपादित करायेंगे ।

6. **स्तूप का निर्माण** - जिस नहर तट/पथतट/तटबंध के प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थानों पर जल-जमाव की समस्या हो उन स्थानों पर जल-जमाव की सम्भावित गहराई के मद्देनजर 0.60 मीटर या 0.75 मीटर या 1.0 मीटर उँचाई के स्तूप का निर्माण स्थानीय मृदा के प्रयोग से किया जा सकता है । यह स्थल विशेष की स्थिति पर निर्भर करेगा एवं स्थानीय कनीय अभियन्ता द्वारा आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण के पश्चात स्तूप की संख्या एवं साईज का निर्णय लिया जायेगा । इन स्थलो पर 3 फीट या उसे बड़े पौधों का उपयोग किया जाय एवं बाँस के पौधे नहीं लगाये जाय । जल जमाव वाले क्षेत्र में जामुन अर्जून अथवा पानी गम्हार के पौधों को प्राथमिकता दी जाय ।

Base Diameter x Height x Top Diameter	ईकाई	मानव दिवस
1.8 मी x 0.60 मी. X. 0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.29
आकार 2.1 मी. X 0.75 मी.X0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.46
आकार 2.6 मी. X 1.0 मी.X0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.89

कृपया इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 22/7/15

(प्रदीप कुमार)

सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 240622 पटना, दिनांक 03/08/2015

ग्रा.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 215360 दिनांक 07.01.2015, 222119 दिनांक 25.02.2015, 223035 दिनांक 04.03.2015, 226744 दिनांक 07.04.2015, 215360 दिनांक 07.01.2015, 229003 दिनांक 20.04.2015, 229434 दिनांक 28.04.2014, 232839 दिनांक 22.05.2015, 239166 दिनांक 22.07.2015 एवं 236474 दिनांक 02.07.2015.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक मे विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी तथा समय-समय पर उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों से सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये थे । सामाजिक वानिकी हेतु चयनित वनपोषकों को लगातार 5 वर्षों तक वृक्षों के रख-रखाव हेतु प्रति माह 1400/- रुपये मजदूरी भुगतान किया जाना है । कतिपय जिलों से सामाजिक वानिकी योजनाओं के MIS Entry से संबंधित मार्गदर्शन की माँग की जा रही थी । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No- J11011/1/2014-RE-I, दिनांक 21.07.2015 द्वारा निदेश दिया गया है कि सामाजिक वानिकी का कार्य Task based है । इस हेतु 15 दिनों तक वृक्षों के देख-भाल/रख-रखाव हेतु लगभग चार (4) मानव-दिवस की आवश्यकता होती है । अतः 15 दिनों तक वृक्षों के देखभाल हेतु प्रत्येक वनपोषक को 175/- रुपये प्रति मानव-दिवस के दर से कुल 700/- रुपये का भुगतान किया जाय ।

इस क्रम में सामाजिक वानिकी की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न निदेश दिया जाता है :-

- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी पाक्षिक रुप से चार मानव-दिवस का ही मस्टर रॉल निर्गत कर 175/- रुपये प्रति मानव-दिवस की दर से भुगतान करेंगे ।
- पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता द्वारा मस्टर रॉल पर यह उल्लेख किया जायेगा कि वनपोषक के द्वारा 15 दिनों तक वृक्षों की

देखभाल/रख-रखाव किया गया है तथा उनके द्वारा 4 मानव दिवस सृजन किया गया है ।

- यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वनपोषक का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर ना होकर कुल जीवित पौधों की संख्या के आधार पर (मार्गदर्शिका के पृष्ट 13 पर वर्णित) किया जायेगा ।

2. सामाजिक वानिकी के तहत जिलों में चयनित योजनायें एवं उनकी संख्या MIS पर परिलक्षित नहीं हो रही हैं । सभी उप विकास आयुक्त द्वारा इन योजनाओं की अविलम्ब MIS पर Entry कराई जाय जिससे विभागीय स्तर पर इनकी निगरानी की जा सके ।

3. सामाजिक वानिकी की योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवन एवं मूल्यांकन हेतु गठित जिला स्तरीय PMU में उस जिले हेतु चयनित फैसीलिटेटर के Distt Co-ordinator अनिवार्य रूप से शामिल होंगे । सभी उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक वानिकी की बैठक में संबंधित Facilitator के जिला समन्वयक उपस्थित रहे एवं विभाग को बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रुप से भेजी जाय ।

4. सामाजिक वानिकी के तहत PMU (Project Monitoring Unit) के गठन का प्रतिवेदन मात्र 11 जिलों, कटिहार, रोहतास, बाँका, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, पू0 चम्पारण, दरभंगा, जहानाबाद, शेखपुरा, पटना से प्राप्त हुआ है । शेष जिलों को यह निर्देश दिया जाता है कि अगले तीन दिनों के अन्दर PMU से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

5. विभागीय पत्रांक 239166 दिनांक- 22.07.2015 द्वारा बिहार के सभी जिलों में ट्रॉली एवं घड़े का प्रावधान, गैवियन का प्रावधान, खाद एवं कीटनाशक की आवश्यकता इत्यादि से संबंधित Model Estimates दिए गए हैं ।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि उच्च प्राथमिकता के साथ सामाजिक वानिकी की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कृपा जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 3/8/15

सचिव

पटना, दिनांक 03/08/2015

ज्ञापांक 240622

या.वि. -7(सा0वा0)-08/2014

प्रतिलिपि:- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी फैसीलिटेटर (facilitator) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/8/15

सचिव